रजिस्ट्री सं० डी०(डी)—73

REGISTERED NO. D-(D)—73

3 8 NOV 1977

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 12, 1977 (कार्तिक 21, 1899)

No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 12, 1977 (KARTIKA 21, 1899)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	595
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1551
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1201
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	3163
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	3915
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	527
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	5127
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	925
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	159
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2155
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	182

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	595
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1551
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Ap- Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions. Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1201
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations.	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	3163
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	3915
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	527
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India .	5127
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	925
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	159
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2155
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	183

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 अक्तूबर 1977

सं० 4/41/76-के० से० (1)—केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित स्थायी अनुभाग अधिकारियों को, राष्ट्रपति सहर्ष उसी सेवा के ग्रेड–I में प्रत्येक के सामने दी गयी तारीख से स्थायी रूप में नियुक्त करते हैं :—

1	श्री एम० एस० खुराना (निर्माण और आवास मंत्रालय)	1-5-1975
2	श्री टी० आर० शाहनि (पूर्ति विभाग)	1-6-1975
3	श्री एम० एन० सिन्हा (शिक्षा विभाग)	27-10-1975
4	श्री के० रामय्या (मन्त्रिमंडल सचिवालय)	27-10-1975
5	श्री एस० सी० डी० पुरोहित (रक्षा मंत्रालय)	27-10-1975
6	श्री ओ० पी० शर्मा (कृषि विभाग)	27-10-1975
7	श्री के०के० डी० घोष (वाणिज्य मंत्रालय)	27-10-1975
8	श्री वजीर सिंग (सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान)	27-10-1975
9	श्री ओ० आर० श्रीनिवासन (गृह मंत्रालय)	1-1-1976
10	श्री एस० पी० कपूर (वित्त मंत्रालय-व्यय विभाग)	1-1-1976
11	श्री एस० जयरामन (वित्त मंत्रालय/व्यय विभाग)	1-1-1976
12	श्री हरबन्स लाल (विज्ञान और तकनीकी विभाग)	1-3-1976
13	श्री आर० एम० वी० सुब्रमनियन (वित्त मंत्रालय/व्यय विभाग)	1-4-1976
14	श्री बी० एम० घोष (पुनर्वास विभाग)	1-5-1976
15	श्री एम० बी० लाल (इस्पात विभाग)	1-5-1976
16	श्री जी० के० पजाबी (विदेश मंत्रालय)	1-5-1976

सं० 4/41/76-के० स० (1)—केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित स्थायी ग्रेड-1 अधिकारियों को राष्ट्रपति सहर्ष उसी सेवा के सलैक्शन ग्रेड में प्रत्येक के सामने दी गयी तारीख से स्थायी रूप में नियुक्त करते हैं :—

1	श्री टी० रामस्वामी (वित्त मंत्रालय/राजस्व विभाग)	1-10-1975
2	श्री त्रियोगि नारायण (शिक्षा विभाग)	1-3-1976
3	श्री बी० एस० तलवार (स्वास्थ्य विभाग)	1-3-1976
4	श्री एस० के० दास गुप्ता (वित्त मंत्रालय/आर्थिक कार्य विभाग)	1-3-1976
5	श्री आर० रंगराजन (खान विभाग)	1-4-1976
6	श्री ए० एन० राजगोपालन (इस्पात विभाग)	1-4-1976
7	श्री एम० के० वेंकटरामन (वित्त मंत्रालय/आर्थिक कार्य विभाग)	1-4-1976

के० एल० रामचन्द्रन,
उप सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 अक्तूबर, 1977

संकल्प

सं० जैड० 28015/2/77-एच०—औषधि, उपकरणों की केन्द्रीय खरीद करने, आपाती मामलों और दुर्घटना ग्रस्त व्यक्तियों का इलाज करने, एम्बुलेंस सेवा आदि का आयोजन करने के लिए कार्य प्रणालियों/योजनाओं को बनाने और उन्हें सुव्यवस्थित करने में दिल्ली अस्पताल बोर्ड की सहायता करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि इस मंत्रालय के 11 मार्च, 1976 के संकल्प सं० जैड० 28015/7/76-एच में गठित किए गए उक्त बोर्ड में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के एक प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में शामिल किया जाए।

(19) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का प्रतिनिधि।

2 दिल्ली अस्पताल बोर्ड की अन्य शर्तें वही रहेंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को छोड़कर जिन्हें एक प्रति भेजी जा रही है)/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/दिल्ली प्रशासन/दिल्ली नगर निगम/प्रधान मंत्री कार्यालय/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/दिल्ली अस्पताल बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को भेज दी जाए।

आदेश दिया जाता है कि यह सकल्प सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र मे प्रकाशित कर दिया जाए।

हस्ता०/
अपठनीय
सयुक्त सचिव

कृषि और सिंचाई मत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 अक्तूबर, 1977

सकल्प

स० 16-2/76-सी० ए०-2—भारत सरकार ने अपने सकल्प स० 22-1/73-सी० ए०-2, दिनांक 14 सितम्बर, 1973 द्वारा गठित भारतीय तिलहन विकास परिषद् को 1 अक्तूबर, 1977 से पुनर्गठित करने का निर्णय किया है। पुनर्गठित परिषद् निम्न प्रकार होगी —

1 अध्यक्ष . एक गैर-सरकारी व्यक्ति, जिसे भारत सरकार नामजद करेगी।

2 उपाध्यक्ष अपर सचिव, भारत सरकार, कृषि तथा सिंचाई मत्रालय (कृषि विभाग)

3 सदस्य

(क) ससद् सदस्य पांच ससद् सदस्य, जिन्हे ससद्-कार्य विभाग नामजद करेगा।

(ख) राज्य सरकारो के प्रतिनिधि।

निम्नलिखित राज्य सरकारो के कृषि विभागो का एक-एक प्रतिनिधि, जिसे सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा नामजद किया जाएगा —

(1) आंध्र प्रदेश
(2) गुजरात
(3) हरियाणा
(4) कर्नाटक
(5) मध्य प्रदेश
(6) महाराष्ट्र
(7) पंजाब
(8) तमिलनाडु
(9) उत्तर प्रदेश
(10) राजस्थान
(11) उडीसा
(12) पश्चिम बगाल

(ग) केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि

(1) वाणिज्य मत्रालय का एक प्रतिनिधि
(2) योजना आयोग का एक प्रतिनिधि
(3) नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मत्रालय का एक प्रतिनिधि
(4) निदेशक, तेल, चिकनाई तथा वनस्पति निदेशालय, नई दिल्ली,
(5) भारत सरकार के कृषि आयुक्त
(6) महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसधान सस्थान अथवा उनका नामित व्यक्ति।
(7) परियोजना समन्वयक (तिलहन), आनुवधिक प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसधान सस्थान, नई दिल्ली।
(8) परियोजना समन्वयक, (सोयाबीन), वनस्पति सूक्ष्मपात प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसधान संस्थान, नई दिल्ली।

(घ) उत्पादको के प्रतिनिधि

(क) निम्नलिखित तिलहन उत्पादक राज्यो से तिलहन उत्पादको का एक-एक प्रतिनिधि, जिसे सम्बन्धित राज्य सरकार नामजद करेगी —

(1) आध्र प्रदेश
(2) गुजरात
(3) हरियाणा
(4) कर्नाटक
(5) मध्य प्रदेश
(6) महाराष्ट्र
(7) पजाब
(8) तमिलनाडु
(9) उत्तर प्रदेश।

(ख) तिलहन उत्पादको का एक प्रतिनिधि, जिसे भारत सरकार नामजद करेगी।

(ङ) उद्योग के प्रतिनिधि

निम्नलिखित का एक-एक प्रतिनिधि —

(1) वनस्पति विनिर्माता सघ
(2) खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग
(3) इडियन आयल मिलर्ज एसोसिएशन।

(च) व्यापार के प्रतिनिधि

व्यापार के दो प्रतिनिधि, जिन्हे भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मडलो के सघ द्वारा नामजद किया जाएगा।

(छ) मजदूरो के प्रतिनिधि

(क) फार्मों मे काम करने वाले————————एक
(ख) कारखानो मे काम करने वाले————————एक

(ज) ऐसे अतिरिक्त व्यक्ति, जिन्हे भारत सरकार समय-समय पर नामजद करे।

4 सदस्य सचिव—निदेशक,

तिलहन विकास निदेशालय,
तिलहन भवन, हिमायत नगर, हैदराबाद।

प्रेक्षक—(जो परिषद् के सदस्य नही होगे, परन्तु परिषद् के विचार-विमर्श में सहायता देने के लिए उन्हे निरन्तर रूप से आमन्त्रित किया जाए '—

1. कृषि विपणन सलाहकार, कृषि तथा सिंचाई मत्रालय अथवा उनके प्रतिनिधि,
2 वित्तीय सलाहकार, कृषि विभाग, कृषि तथा सिंचाई मत्रालय
3 अर्थ सांख्यिकी सलाहकार, कृषि विभाग, कृषि तथा सिंचाई मत्रालय अथवा उनका प्रतिनिधि।
4 भारत सरकार के वनस्पति रक्षण सलाहकार, कृषि विभाग, कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय।
5. राष्ट्रीय बीज निगम का एक प्रतिनिधि
6 सयुक्त आयुक्त (वाणिज्यिक फसल), कृषि विभाग, कृषि तथा सिंचाई मत्रालय।
7 कृषि मूल्य आयोग का एक प्रतिनिधि।

2 कार्य .

परिषद् एक सलाहकार निकाय के रूप मे निम्नलिखित कार्य करेगी —

(1) सोयाबीन तथा नारियल को छोड़कर वृक्ष मूलक तिलहनो समेत, तिलहनो के सम्बध मे केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र मे

विकास कार्यक्रमों पर विचार करना, समय-समय पर उनकी प्रगति की समीक्षा करना और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय सुझाना

(2) तिलहनों के उत्पादन और विपणन तथा तिलहन उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिलाने से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करना और इन मामलों में सरकार को सलाह देना ,

(3) देशी तथा निर्यात मंडियों में तिलहनों की विभिन्न किस्मों की मांगों पर विचार करना तथा तिलहन उत्पादन कार्यक्रमों में आवश्यक समायोजनों के बारे में सरकार को सलाह देना,

(4) तिलहन उत्पादन के सम्बन्ध में छोटे तथा सीमांत किसानों की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना और उन्हें पूरा करने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाना ,

(5) तिलहनों के सम्बन्ध में अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों के बीच समन्वय को सुविधाजनक बनाना तथा तिलहनों की क्वालिटी और उत्पादकता में सुधार लाने की आवश्यकता के बारे में सलाह देना,

(6) ऐसे अन्य सम्बन्धित मामलों पर सरकार को सलाह देना जो समय-समय पर आवश्यक समझे जाएं ।

3 परिषद् को विशिष्ट मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए स्थायी समितियां तकनीकी समितियां तथा तदर्थ समितियां स्थापित करने और विशेष प्रयोजनों के लिए आवश्यकतानुसार कृषि विश्वविद्यालयों एवं अन्य विशेष क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को सहयोजित करने के अधिकार होंगे ।

4 तिलहन उगाने वाले क्षेत्रों तथा तिलहनों के व्यापार एवं उद्योग के महत्वपूर्ण केन्द्रों पर परिषद् की समय-समय पर बैठकें होंगी और वह भारत सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेंगी ।

5 परिषद् तब तक काम करेगी, जब तक सरकार एक संकल्प द्वारा इसे भंग न कर दे । अध्यक्ष तथा परिषद् के अन्य गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल परिषद् में उनके नामजद होने की तारीख से 3 वर्ष होगा, बशर्ते कि भारत सरकार के किसी विशिष्ट आदेश द्वारा इस अवधि को घटा या बढ़ा न दिया जाए ।

6. परिषद् में नामित संसद् सदस्यों की संसद् सदस्यता समाप्त होते ही उनकी परिषद् की सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री के सचिवालय, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाए ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि सार्वजनिक जानकारी के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

दिनांक 19 अक्तूबर 1977

संकल्प

सं० 23-6/76-सी० ए०-2—भारत सरकार ने अपने संकल्प संख्या 41-3/73-सी० ए०-2, तारीख 19 अक्तूबर, 1973 द्वारा गठित भारतीय गन्ना विकास परिषद् का 1 जुलाई, 1977 से पुनर्गठन करने का निर्णय किया है । पुनर्गठित परिषद् निम्न प्रकार होगी —

1. अध्यक्ष : एक गैर-सरकारी व्यक्ति जिसे भारत सरकार नामजद करेगी ।

2 उपाध्यक्ष . भारत सरकार के कृषि और सिंचाई मंत्रालय के कृषि विभाग के अपर सचिव ।

3. सदस्य

(क) संसद् के सदस्य 4 संसद् सदस्य जिन्हें संसद् कार्य विभाग नामजद करेगा ।

(ख) राज्य सरकारों के प्रतिनिधि निम्नलिखित राज्य सरकारों का एक-एक प्रतिनिधि जो कि संबंधित राज्य सरकारों के कृषि विभागों द्वारा नामजद किया जाएगा —

1 आंध्र प्रदेश
2 बिहार
3 हरियाणा
4 कर्नाटक
5 महाराष्ट्र
6 पंजाब
7 तमिलनाडु
8 उत्तर प्रदेश

(ग) केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि

1 योजना आयोग का एक प्रतिनिधि ।
2 वाणिज्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ।
3 मुख्य निदेशक (गन्ना), खाद्य विभाग ।
4 भारत सरकार के कृषि आयुक्त अथवा उनका प्रतिनिधि ।
5 महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली अथवा उनका प्रतिनिधि ।
6 निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, रायबरेली रोड, डाकघर—दिलकुशा, लखनऊ—2 ।
7 परियोजना समन्वयक (गन्ना) भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ।
8. परियोजना समन्वयक (चुकन्दर) उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, जिला—नैनीताल ।

(घ) उत्पादकों के प्रतिनिधि

(क) निम्नलिखित गन्ना पैदा करने वाले प्रत्येक राज्य से संबंधित राज्य सरकार द्वारा नामजद किया जाने वाला उत्पादकों का एक एक प्रतिनिधि —

1 आंध्र प्रदेश
2 बिहार
3. हरियाणा
4. कर्नाटक
5 महाराष्ट्र
6 पंजाब
7 तमिलनाडु
8 उत्तर प्रदेश

(ख) उत्पादकों का एक प्रतिनिधि जिसे भारत सरकार नामजद करेगी ।

(ङ) उद्योग के प्रतिनिधि

(1) इण्डियन शूगर मिल्स एसोशिएयन का एक प्रतिनिधि ।

(1) नेशनल फैडरेशन आफ कोआपरेटिव शूगर फैक्ट्रीज का एक प्रतिनिधि ।

(2) गुड़ और खांडसारी के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रतिनिधि जिसे उत्तर प्रदेश सरकार नामजद करेगी ।

(घ) व्यापार के प्रतिनिधि

1. बम्बई
2. कानपुर
3. कलकत्ता के शूगर मर्चेंट एसोशिएशन का एक प्रतिनिधि ।

(छ) श्रमिको के प्रतिनिधि

(क) फार्म के मजदूर—एक

(ख) कारखानो के कर्मचारी—एक

(ज) कोई अन्य व्यक्ति जिसे समय-समय पर भारत सरकार नामजद करे ।

4 सदस्य-सचिव

निदेशक,
गन्ना विकास निदेशालय,
कृषि और सिंचाई मंत्रालय,
(कृषि विभाग)
शाली, बोर्ड साहिबाबाद, जिला-गाजियाबाद (उ०प्र०) ।

5. प्रेक्षक--(जो परिषद् के सदस्य नही होंगे, परन्तु जिन्हे परिषद् के विचार विमर्श मे सहायता देने के लिए अवश्य ही आमन्त्रित किया जाएगा) ।

1. कृषि विपणन सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि और सिंचाई मंत्रालय, अथवा उनका प्रतिनिधि ।
2 कृषि और सिंचाई मंत्रालय के कृषि विभाग के वित्तीय सलाहकार ।
3. राष्ट्रीय गन्ना सस्थान, कानपुर के निदेशक अथवा उनका प्रतिनिधि ।
4. गन्ना सवर्धन सस्थान कोयम्बटूर अथवा उनका नामित व्यक्ति ।
5. कृषि और सिंचाई मंत्रालय के अर्थ एव सांख्यिकी सलाहकार अथवा उनका नामित व्यक्ति ।
6 सयुक्तायुक्त (वाणिज्यिक फसल), कृषि विभाग, कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय, नई दिल्ली ।

2. परिषद् एक सलाहकार निकाय के रूप मे निम्नलिखित कार्य करेगी :—

1. गन्ना तथा चुकन्दर के सबंध मे केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रो में विकास कार्यक्रमो पर विचार करना, समय-समय पर इनकी प्रगति समीक्षा करना तथा गन्ना और चुकन्दर का उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय सुझाना,
2. गन्ना तथा चुकन्दर के उत्पादन, विपणन, परिसस्करण, भडारण और परिवहन तथा गन्ना व चुकन्दर के उत्पादको को लाभदायक मूल्य दिलाने से सबंधित समस्याओ पर विचार करना तथा इन मामलो मे सरकार को सलाह देना,
3. देशी तथा निर्यात मडियो मे गन्ने और चुकन्दर [redacted] विभिन्न किस्मो की मांगो पर विचार करना [redacted] गन्ने तथा चुकन्दर के कार्यक्रमों में आवश्यक समायोजन के बारे मे सरकार को सलाह देना,
4. गन्ने तथा चुकन्दर के उत्पादन के सबंध मे छोटे और सीमांत किसानो की विशेष आवश्यकताओ पर विचार करना और उन्हे पूरा करने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाना,
5 गन्ने तथा चुकन्दर से सबंधित अनुसधान और विकास कार्यक्रमो के बीच समन्वय को सुविधाजनक बनाना और गन्ने एवं चुकन्दर की क्वालिटी तथा उत्पादकता मे सुधार की आवश्यकताओं के बारे में सुझाव देना, और
6. सरकार को ऐसे अन्य सबधित मामलो पर सलाह देना जो समय-समय पर आवश्यक समझे जाए ।

3. परिषद् को विशेष मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए तकनीकी समितिया, स्थायी समितिया तथा तदर्थ समितियां स्थापित करने और विशेष प्रयोजनो के लिए आवश्यकतानुसार कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य विशेष क्षेत्रो के सदस्यो को सहयोजित करने के लिए अधिकार होगे ।

4. गन्ना तथा चुकन्दर पैदा करने वाले क्षेत्रो तथा गन्ने और चुकन्दर के व्यापार और उद्योग के महत्वपूर्ण केन्द्रो मे परिषद् की समय समय पर बैठकें होगी और वह सरकार को सिफारिश करेगी ।

5 परिषद् तब तक कार्य करती रहेगी, जब तक कि उसे सरकार के एक संकल्प द्वारा भग न कर दिया जाए । अध्यक्ष तथा परिषद् के अन्य गैरसरकारी सदस्यो का कार्यकाल उस तारीख से तीन वर्ष होगा, जिस तारीख को वे परिषद् मे नामजद किए जाते हैं, बशर्ते कि इस अवधि को भारत सरकार के विशेष आदेश द्वारा घटा या बढ़ा न दिया जाए ।

6 परिषद् मे ससद् सदस्यो मे से नामजद किए गए सदस्यो की सदस्यता उनकी ससद् सदस्यता समाप्त होते ही खत्म हो जाएगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारो, सघ राज्य क्षेत्रो को प्रशासनों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री का कार्यालय, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाए।

2 यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य जानकारी के लिए यह सकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

सकल्प

स० 48012(5)/76-सी० ए०-1—भारत सरकार ने तारीख 7 नवम्बर, 1973 के सकल्प स० 60-1/73-सी० ए० 1, द्वारा गठित भारतीय मसाला विकास परिषद् को 1 अक्तूबर, 1977 से पुनर्गठित करने का निर्णय किया है । पुनर्गठित परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1 अध्यक्ष : एक गैर-सरकारी व्यक्ति, जो भारत सरकार द्वारा नामजद किया जाएगा ।

2. उपाध्यक्ष : अपर सचिव (उत्पादन), भारत सरकार, कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) ।

3. सदस्य :

(क) ससद् सदस्य . तीन संसद् सदस्य, जो ससद-कार्य विभाग द्वारा नामजद किए जाएंगे ।

(ख) राज्य सरकारो के प्रतिनिधि : निम्नलिखित राज्य सरकारो के के कृषि विभागो के एक-एक प्रतिनिधि, जो सम्बन्धित राज्य सरकारो द्वारा नामजद किए जायेंगे —

1. आन्ध्र प्रदेश
2. असम
3. गुजरात
4. कर्नाटक
5. केरल
6. महाराष्ट्र
7. मेघालय
8. उड़ीसा
9. तमिलनाडु
10. पश्चिम बंगाल ।

(ग) केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि —

(1) योजना आयोग का एक प्रतिनिधि

(2) वाणिज्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि,

(3) भारत सरकार के कृषि आयुक्त अथवा उनका नामित व्यक्ति ।

(4) महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली अथवा उनका नामित व्यक्ति ।

(5) परियोजना समन्वयक (मसाला तथा काजू) केन्द्रीय बागान फसल अनुसंधान संस्थान, डाकघर कुडलू कासरगोड ।

(घ) उत्पादकों के प्रतिनिधि : उत्पादकों के बारह प्रतिनिधि, जो मसाला पैदा करने वाले प्रमुख राज्यों से, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित रूप से नामजद किए जायेंगे —

(1) आन्ध्र प्रदेश	एक प्रतिनिधि
(2) बिहार	तदैव
(3) हिमाचल प्रदेश	,,
(4) कर्नाटक	,,
(5) केरल	,,
(6) महाराष्ट्र	,,
(7) मेघालय	,,
(8) मध्य प्रदेश	,,
(9) उड़ीसा	,,
(10) तमिलनाडु	,,
(11) पश्चिम बंगाल	,,
(12) सिक्किम	,,

(ङ) व्यापार के प्रतिनिधि : व्यापार के तीन प्रतिनिधि, जिनकी सिफारिश वाणिज्य मंत्रालय करेगा ।

(च) उद्योग के प्रतिनिधि : उद्योग के तीन प्रतिनिधि

(छ) मजदूरों के प्रतिनिधि —

(क) फार्मों में काम करने वाले————एक

(ख) कारखानों में काम करने वाले————एक

(ज) अन्य : ऐसे अतिरिक्त व्यक्ति, जिन्हें भारत सरकार समय-समय पर नामजद करे ।

4. सदस्य सचिव कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) के अंतर्गत सुपारी तथा मसाला विकास निदेशालय कालीकट के निदेशक ।

5. प्रेक्षक : (जो परिषद् के सदस्य नहीं होंगे, किन्तु परिषद् की कार्रवाई में उसकी सहायता करने के लिए आमंत्रित किए जा सकते हैं) ।

1. अध्यक्ष, राज्य व्यापार निगम अथवा उनका प्रतिनिधि

2 कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय अथवा उनका प्रतिनिधि ।

3. वित्तीय सलाहकार, कृषि विभाग, कृषि और सिंचाई मंत्रालय ।

4 अर्थ तथा सांख्यिकी सलाहकार, कृषि विभाग, कृषि और सिंचाई मंत्रालय ।

5. निदेशक, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर

6. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नई दिल्ली का प्रतिनिधि

7. संयुक्त आयुक्त वाणिज्यिक फसल कृषि विभाग, कृषि और सिंचाई मंत्रालय ।

8. प्रबंध निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नाफेड) ।

2 परिषद् एक सलाहकार निकाय होगी और उसके निम्नलिखित कार्य होंगे —

(1) केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में मसालों के संबंध में विकास कार्यक्रमों पर विचार करना, समय-समय पर उनकी प्रगति की समीक्षा करना तथा मसालों का उत्पादन बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करना,

(2) मसालों के उत्पादन और विपणन एवं मसाला उत्पादकों को लाभदायक मूल्य देने से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करना और इन मामलों पर सरकार को सलाह देना,

(3) देशी और निर्यात मंडियों में मसालों की विभिन्न किस्मों की मांगों पर विचार करना और उपयुक्त विकास कार्यक्रमों के जरिए उक्त मांगें पूरी करने के लिए आवश्यक व्यवस्था के बारे में सरकार को सलाह देना,

(4) मसाला उत्पादन के सम्बन्ध में छोटे तथा सीमांत किसानों की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना और इसे पूरा करने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाना ;

(5) मसालों के सम्बन्ध में अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों के बीच समन्वय को सुविधाजनक बनाना और मसालों की क्वालिटी तथा उत्पादकता में सुधार की आवश्यकताओं के बारे में सलाह देना ,

(6) ऐसे अन्य सम्बन्धित मामलों पर सरकार को सलाह देना, जो समय-समय पर जरूरी समझे जायें।

3. इस परिषद् को विशिष्ट मुद्दों पर विचार करने के लिए स्थायी समिति, तकनीकी समिति और तदर्थ समिति स्थापित करने तथा आवश्यकतानुसार विशिष्ट प्रयोजनों के लिए सदस्य सहयोजित करने (जैसे कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य विशेष क्षेत्रों के प्रतिनिधि) का अधिकार होगा ।

4. परिषद् की बैठक समय-समय पर मसाला पैदा करने वाले क्षेत्रों और व्यापार व उद्योग के महत्वपूर्ण केन्द्रों में होगी और यह भारत सरकार को अपनी सिफारिश देगी ।

5. यह परिषद् तब तक काम करेगी, जब तक सरकार एक प्रस्ताव द्वारा इसे समाप्त न कर दे। अध्यक्ष तथा परिषद् के अन्य गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल परिषद् में उनके नामजद होने की तारीख से तीन वर्ष होगा, बशर्ते कि भारत सरकार विशेष आदेश द्वारा इस अवधि को घटा या बढ़ा न दे।

6. परिषद् के वे सदस्य, जो संसद् सदस्यों में से नामजद किए गए हैं, संसद् सदस्य न रहने पर परिषद् के भी सदस्य नहीं रह जायेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों और भारत सरकार के रक्षालय योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री का कार्यालय, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाए।

2 यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

संकल्प

सं० 48012(6)/76-सी०ए०-I—भारत सरकार ने अपने संकल्प सं० 17-1/73-सी०ए०-I दिनांक 26 नवम्बर, 1973 द्वारा गठित भारतीय काजू विकास परिषद् का 1 अक्तूबर, 1977 से पुनर्गठन करने का निर्णय किया है। पुनर्गठित परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे —

1. अध्यक्ष भारत सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला एक गैर-सरकारी व्यक्ति ।

2. उपाध्यक्ष अपर सचिव (पी०), भारत सरकार कृषि और सिंचाई मन्त्रालय (कृषि विभाग)।

3. सदस्य :

(क) संसद् सदस्य तीन संसद् सदस्य, जिन्हें संसदीय कार्य विभाग द्वारा नामित किया जाएगा।

(ख) राज्य सरकारों के प्रतिनिधि

निम्नलिखित राज्य सरकारों के कृषि विभागों का एक प्रतिनिधि जिसे सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा नामित किया जाएगा :—

1. आंध्र प्रदेश
2. गोवा
3. कर्नाटक
4. केरल
5. महाराष्ट्र
6. उड़ीसा
7. तमिलनाडु
8. पश्चिम बंगाल

(ग) केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि

1. योजना आयोग का एक प्रतिनिधि
2. वाणिज्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि
3. भारत सरकार का कृषि आयुक्त अथवा उनका प्रतिनिधि
4. महानिदेशक, भारतीय अनुसंधान परिषद् अथवा उनका प्रतिनिधि।
5. परियोजना समन्वयक (मसाले और काजू), केन्द्रीय बागान फसल अनुसंधान संस्थान, पोस्ट कुदलू, केसरगोड (केरल)।

(घ) उत्पादकों के प्रतिनिधि

उत्पादकों के आठ प्रतिनिधि जिन्हें अधिक काजू पैदा करने वाले निम्नलिखित राज्यों से सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा नामित किया जाएगा :—

1. आंध्र प्रदेश	एक प्रतिनिधि
2. गोवा	,,
3. केरल	,,
4. कर्नाटक	,,
5 महाराष्ट्र	,,
6 उड़ीसा	,,
7 तमिलनाडु	,,
8. पश्चिम बंगाल	,,

(ङ) व्यापार के प्रतिनिधि

परिषद् के लिए व्यापार के तीन प्रतिनिधि जिन्हें वाणिज्य मंत्रालय द्वारा सिफारिश किए गए उम्मीदवारों में से नामित किया जाएगा।

(च) उद्योग के प्रतिनिधि

उद्योग के तीन प्रतिनिधि

(छ) कर्मचारियों के प्रतिनिधि :

(क) खेतों में काम करने वाले————एक सदस्य

(ख) कारखानों में काम करने वाले————एक सदस्य

(ज) ऐसे अतिरिक्त व्यक्ति, जिन्हें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नामित किया जाए।

4 सदस्य सचिव

निदेशक,
काजू विकास निदेशालय,
कोचीन।

5 प्रेक्षक :—(जो परिषद् के सदस्य नहीं होंगे, किन्तु उन्हें परिषद् के विचार विमर्श में सहायता के लिए अवश्य आमंत्रित किया जाएगा)

1. अध्यक्ष, भारतीय काजू निगम अथवा उनका प्रतिनिधि
2. कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, कृषि और सिंचाई मन्त्रालय अथवा उनका प्रतिनिधि।
3. वित्तीय सलाहकार, कृषि विभाग, कृषि और सिंचाई मन्त्रालय
4. अर्थ एवं सांख्यिकी सलाहकार, कृषि विभाग, कृषि और सिंचाई मन्त्रालय, अथवा उनका प्रतिनिधि।
5. संयुक्त आयुक्त (वाणिज्यिक फसल) कृषि और सिंचाई मन्त्रालय (कृषि विभाग)।

2. यह परिषद् एक परामर्शदात्री परिषद् होगी जिसके निम्नलिखित कार्य होंगे :—

1. केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में काजू के विकास कार्यक्रमों पर विचार करना, समय समय पर उनकी प्रगति की समीक्षा करना और काजू के उत्पादन में वृद्धि के लिए सुझाव देना,
2. काजू के उत्पादन, विपणन तथा काजू उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिलाने के संबंध में समस्याओं पर विचार करना और इस संबंध में सरकार को सलाह देना,
3. देश और विदेश की मंडियों में काजू की मांग पर विचार करना और उचित विकास कार्यक्रमों द्वारा इस मांग की पूर्ति के लिए आवश्यक व्यवस्था के बारे में सरकार को सलाह देना,
4. काजू के उत्पादन के संबंध में लघु तथा सीमान्त कृषकों की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना और उनकी पूर्ति के लिए उपयुक्त उपाय सुझाना,
5. काजू के अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों के बीच समन्वय स्थापित करने में सहायता करना और काजू की क्वालिटी तथा उसकी उत्पादकता में सुधार करने की आवश्यकताओं के बारे में सुझाव देना, और
6. समय समय पर आवश्यक समझे जाने वाले अन्य संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देना।

3. आवश्यकतानुसार परिषद् विशिष्ट मुद्दों पर गौर करने के लिए तकनीकी समितियों, स्थायी समितियां एवं तदर्थ समितियां गठित कर सकेगी तथा विशिष्ट प्रयोजनों के लिए कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य विशेष हितों के प्रतिनिधियों को सदस्य सहयोजित कर सकेगी।

4 परिषद् की बैठक, समय-समय पर काजू पैदा करने वाले क्षेत्रों तथा व्यापार और उद्योग के महत्वपूर्ण केन्द्रों में होगी और परिषद् अपनी सिफारिशें भारत सरकार को प्रस्तुत करेगी।

5 परिषद् तब तक काम करती रहेगी जब तक कि उसे सरकार के किसी संकल्प द्वारा समाप्त न कर दिया जाए। परिषद् के अध्यक्ष तथा अन्य गैर सरकारी सदस्यों का कार्य काल परिषद् में उनके नामित होने की तारीख से तीन वर्ष होगा परन्तु भारत सरकार विशेष आदेश द्वारा इस अवधि को घटा या बढ़ा भी सकेगी।

6 परिषद् के सदस्य नामित होने वाले संसद् सदस्य, संसद् के सदस्य न रहने पर परिषद् के सदस्य भी नहीं रह सकेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति समस्त राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, भारत सरकार के मन्त्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल

सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों को भेज दी जाए।

2 यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

संकल्प

सं० 50-1/77-सी० ए०-I.—भारत सरकार ने तत्काल से भारतीय आलू विकास परिषद का गठन करने का निर्णय किया है। इस परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे —

1 अध्यक्ष भारत सरकार द्वारा एक गैर-सरकारी व्यक्ति नामित किया जाएगा।

2 उपाध्यक्ष अपर सचिव (पी०), कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग)।

3. सदस्यगण .

(क) संसद् के सदस्य संसदीय कार्य विभाग द्वारा तीन संसद् के सदस्यों को नामित किया जाएगा।

(ख) राज्य सरकारों के प्रतिनिधि निम्नलिखित राज्य सरकारों के कृषि विभाग में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि संबंधित राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा —

1 आंध्र प्रदेश
2 बिहार
3 हरियाणा
4 हिमाचल प्रदेश
5 कर्नाटक
6 मध्य प्रदेश
7 उड़ीसा
8 पंजाब
9 तमिलनाडु
10 उत्तर प्रदेश
11 पश्चिम बंगाल

(ग) केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि —

1 योजना आयोग का एक प्रतिनिधि
2 वाणिज्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि
3 सिविल सप्लाई तथा सहकारी मंत्रालय के सिविल सप्लाई का एक प्रतिनिधि।
4 भारत सरकार के कृषि आयुक्त अथवा उनका नामित व्यक्ति।
5 निदेशक, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला
6 आलू समन्वयक, परियोजना आलू, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला।
7 कृषि विपणन, सलाहकार ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली।
8 निदेशक, खाद्य परिसंस्करण, खाद्य विभाग
9 प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन, फैडरेशन आफ इंडिया लि०, नई दिल्ली।

(घ) उत्पादकों के प्रतिनियुक्ति निम्नलिखित आलू उत्पादन करने वाले मुख्य राज्यों में से 11 उत्पादक प्रतिनिधि संबंधित राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे —

1. आन्ध्र प्रदेश
2 बिहार
3 हरियाणा
4. हिमाचल प्रदेश
5 कर्नाटक
6 मध्य प्रदेश
7 उड़ीसा
8 पंजाब
9 तमिलनाडु
10. पश्चिमी बंगाल

(ङ) व्यापारियों के प्रतिनिधि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा व्यापार के एक प्रतिनिधि के लिए सिफारिश की जाएगी।

(च) उद्योग के प्रतिनिधि उद्योग का एक प्रतिनिधि

(छ) भीनागारों के प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यों द्वारा एक-एक प्रतिनिधि नामित किया जाएगा।

(ज) कामगारों के खेतों में लगे—एक कारगर

(झ) ऐसे और व्यक्ति जिन्हें समय-समय पर भारत सरकार नामित करेगी।

4 सदस्य सचिव :
निदेशक, (एच० सी० पी०),
कृषि और सिंचाई मंत्रालय,
कृषि विभाग,
नई दिल्ली।

5 प्रेक्षक . (जो कि परिषद् के सदस्य नहीं होंगे परन्तु परिषद् के विचार विमर्श में सहायता करने के लिए आमंत्रित किए जाएंगे) –

1. भारतीय कृषि अनुसंधान के सहायक महानिदेशक (बागवानी) अथवा उसका प्रतिनिधि।
2. वित्त सलाहकार (कृषि और सिंचाई) मंत्रालय, कृषि विभाग
3 अर्थ एवं सांख्यिकी सलाहकार कृषि विभाग, कृषि और सिंचाई मंत्रालय अथवा उनका प्रतिनिधि।
4. वनस्पति संरक्षण सलाहकार, कृषि विभाग, कृषि और सिंचाई मंत्रालय।
5 प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम अथवा उनका प्रतिनिधि।
6 रेल का प्रतिनिधि
7 संयुक्त आयुक्त (संचयन) खाद्य विभाग
8. संयुक्त आयुक्त (एफ० सी०)

2 परिषद् एक सलाहकार निकाय होगी और उसके कार्य इस प्रकार होंगे .—

(1) केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र में आलू के संबंध में विकास कार्यक्रमों पर विचार करना, समय समय पर उनकी प्रगति की समीक्षा करना तथा आलू का उत्पादन बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करना।

(2) आलू के उत्पादन और विपणन एवं आलू उत्पादकों को लाभदायक मूल्य देने संबंधी समस्याओं पर विचार करना और इन मामलों पर सरकार को सलाह देना।

(3) देशी और निर्यात मंडियों में आलुओं की विभिन्न किस्मों की मांगों पर विचार करना और उपयुक्त विकास कार्यक्रमों के माध्यम से उक्त मांगें पूरी करने के लिए आवश्यक व्यवस्था के संबंध में सरकार को सलाह देना।

(4) आलू उत्पादन के संबंध में छोटे तथा सीमान्त किसानों की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना और इसे पूरा करने के लिए उपाय सुझाना।

(5) आलू के संबंध में अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों के बीच समन्वय को सुविधाजनक बनाना और आलू की क्वालिटी

तथा उत्पादकता में सुधार की आवश्यकताओं के बारे में सलाह देना,

(6) ऐसे अन्य संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देना, समय समय पर जरूरी समझे जाए।

3 भारतीय आलू विकास परिषद् को विशिष्ट मुद्दों पर विचार करने के लिए स्थायी समिति तकनीकी समिति और तदर्थ समिति स्थापित करने तथा आवश्यकतानुसार विशिष्ट प्रयोजनों के लिए सदस्य सहयोजित करने (जैसे कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य विशेष क्षेत्रों के प्रतिनिधि) का अधिकार होगा।

4 परिषद् की बैठक कम से कम एक वर्ष में दो बार आलू पैदा करने वाले क्षेत्रों और व्यापार तथा उद्योग के महत्वपूर्ण केन्द्रों में होगी और यह भारत सरकार को अपनी सिफारिशें देगी।

5 यह परिषद् तब तक कार्य करेगी, जब तक सरकार एक प्रस्ताव द्वारा इसे समाप्त न कर दे। अध्यक्ष तथा परिषद् के अन्य गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल परिषद् में उनके नामजद होने की तारीख से तीन वर्ष होगा बशर्ते कि भारत सरकार विशेष आदेश द्वारा इस अवधि को घटा या बढ़ा न दे।

6 परिषद् के वे सदस्य, जो संसद् सदस्यों में से नामजद किए गए हैं, संसद् सदस्य न रहने पर परिषद् के भी सदस्य नहीं रह जाएंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों और भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री का कार्यालय, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाए।

2 यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

ए० दास,
अपर सचिव

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय

समाज कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्तूबर 1977

संकल्प

सं० 1-50/77-सी० एस० डब्ल्यू० बी०—श्रीमती सरोजनी वरादप्पन, जिन्हें कि समाज कल्याण विभाग, भारत सरकार के दिनांक 7 सितम्बर, 1973 के संकल्प संख्या 1-3/71 डब्ल्यू० डब्ल्यू० के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था, ने 31 अगस्त, 1977 के अपराह्न से अध्यक्ष के पद का कार्यभार छोड़ दिया। केन्द्रीय सिविल सेवा अवकाश नियमों के अन्तर्गत ऐसे मामलों में लागू आवश्यक शर्तों के अनुसार श्रीमती सरोजनी वरादप्पन को 1 सितम्बर, 1977 से 120 दिनों की सेवांत छुट्टी मंजूर की गई है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति निम्नलिखित को भेजी जाए —

1 केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सभी सदस्य।
2 सभी राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन।
3 भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
4 राष्ट्रपति सचिवालय।
5 मंत्रिमंडल सचिवालय।
6 प्रधान मंत्री कार्यालय।
7 योजना आयोग।
8 लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
9 प्रेस सूचना कार्यालय।
10 महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली।
11 कम्पनी कार्य विभाग।
12 कम्पनी रजिस्ट्रार, नई दिल्ली।
13 क्षेत्रीय निदेशक, कम्पनी कानून बोर्ड, कानपुर।
14 सचिव, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली।
15 सभी राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों के अध्यक्ष।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

बी० एन० बहादुर, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS

New Delhi, the 18th October 1977

No. 4/41/76-CS I—The President is pleased to appoint the following permanent Section Officers of the Central Secretariat Service to the Grade I of the Service in a substantive capacity with effect from the dates mentioned against each :—

1 Shri M S Khurana (Ministry of Works & Housing)	1-5-75
2 Shri T R. Shahani (Deptt of Supply)	1-6-75
3 Shri M N Sinha (Deptt. of Education)	27-10-75
4 Shri K. Ramiah (Cabinet Secretariat)	27-10-75
5. Shri S C D Purohit (Ministry of Defence)	27-10-75
6 Shri O P Sharma (Deptt of Agriculture)	27-10-75
7. Shri K. K D Ghosh (Ministry of Commerce)	27-10-75
8 Shri Wazir Singh (I. S T & M.)	27-10-75
9 Shri O R Srinivasan (Ministry of Home Affairs)	1-1-76
10 Shri S P Kapoor (Min of Fin (Deptt of Exp.))	1-1-76
11 Shri S Jayaraman (Min of Fin (Deptt of Exp.))	1-1-76
12. Shri Harbans Lal (Deptt of Science and Technology)	1-3-76
13 Shri R. S V. Subramanian (Min of Fin (Deptt of Exp.))	1-4-76
14 Shri B M Ghosh (Deptt of Rehabilitation)	1-5-76
15 Shri M B Lal (Deptt of Steel)	1-5-76
16 Shri G. K Punjabi (Ministry of External Affairs)	1-5-76

No. 4/41/76-CS(1).—The President is pleased to appoint the following permanent Grade I officers of the Central Secretariat Service to Selection Grade of the Service in a substantive capacity, with effect from the date indicated against each :—

1	Shri T Ramaswamy (Deptt of Revenue), Min. of Finance	1-10-75
2	Shri Triyogi Narain (Deptt of Education)	1-3-76
3	Shri V S Talwar (Department of Health)	1-3-76
4	Shri S K Das Gupta Ministry of Finance, (Department of Economic Affairs)	1-3-76
5.	Shri R Rangarajan (Deptt of Mines)	1-4-76
6	Shri A. N Rajagopalan (Deptt of Steel)	1-4-76
7	Shri M. K Venkataraman Ministry of Finance, (Department of Economic Affairs)	1-4-76

K. L. RAMACHANDRAN, Dy Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi, the 3rd October 1977

RESOLUTION

No Z 28015/2/77-H.—In order to render help to the Delhi Hospitals Board informulating and streamlining procedures/schemes for Central purchases of medicine, equipment, running of emergency and accident care, organisation of ambulance service etc., it has been decided by the Government of India to include a representative of the Department of Personnel and Administrative Reforms as a Member on the said Board constituted *vide* this Ministry's Resolution No Z28015/7/75-H dated the 11th March, 1976 This member should be included after Serial No 18 of para 2 of the above mentioned Resolution —

(19) Representative of the Department of Personnel and Administrative Reforms.

2 The other terms and conditions of Delhi Hospitals Board remain unchanged

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/*Departments of Government of India/Directorate General of Health Services/Delhi Administration/Delhi Municipal Corporation/P M 's Office/Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat/Chairman and Members of Delhi Hospital Board

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information

N. N VOHRA, Jt Secy

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(DEPARTMENT OF ARICULTURE)

New Delhi, the 12th October 1977

No. 16-2/76-C A.II.—The Government of India have decided to reconstitute the Indian Oilseeds Development Council set up vide their Resolution No 22-1/73-C A.II, dated 14th September, 1973 with effect from 1st October, 1977. The reconstituted Council will be composed as follows :—

I *CHAIRMAN*

A non-official to be nominated by the Government of India.

II *VICE-CHAIRMAN*

Additional Secretary to the Govt. of India in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture).

III *MEMBERS*

(A) *Members of Parliament* —Five Members of Parliament to be nominated by the Department of Parliamentary Affairs.

(B) *Representatives of State Governments* —One representative from each of the following State Governments in the Department of Agriculture to be nominated by the respective State Governments —

(i) Andhra Pradesh
(ii) Gujarat
(iii) Haryana
(iv) Karnataka
(v) Madhya Pradesh
(vi) Maharashtra
(vii) Punjab
(viii) Tamil Nadu
(ix) Uttar Pradesh
(x) Rajasthan
(xi) Orissa
(xii) West Bengal

(C) *Representatives of Central Government* .

(i) One representative of the Ministry of Commerce.
(ii) One representative of the Planning Commission.
(iii) One representative of the Ministry of Civil Supplies and Cooperation
(iv) Director, Directorate of Oils, Fats and Vanaspati, New Delhi
(v) Agriculture Commissioner to the Government of India.
(vi) Director General, Indian Council of Agricultural Research or his nominee
(vii) Project Coordinator (Oilseeds), Division of Genetics, I A R I, New Delhi
(viii) Project Coordinator (Soyabean), Division of Plant Introduction, I A R I., New Delhi.

(D) *Growers' representatives*

(a) One representative of the Oilseed Growers to be nominated by the respective State Government from each of the following Oilseeds Growing States —

(i) Andhra Pradesh
(ii) Gujarat
(iii) Haryana
(iv) Karnataka
(v) Madhya Pradesh
(vi) Maharashtra
(vii) Punjab
(viii) Tamil Nadu
(ix) Uttar Pradesh.

(b) One representative of Oilseeds Growers to be nominated by the Government of India.

(E) *Representative of Industry* :—

One representative each of .

(i) The Vanaspati Manufacturers' Association.
(ii) Khadi and Village Industry Commission.
(iii) Indian Oils Millers' Association

(F) *Representative of Trade*

Two representatives of trade to be nominated by the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry.

(G) *Representative of Workers* :

(a) Engaged in farms

(b) Engaged in factories

(H) *Such additional persons as may, from time to time, be nominated by the Government of India*

IV *MEMBER SECRETARY*

The Director,
Directorate of Oilseeds Development,
Telhan Bhavan, Himayat Nagar,
Hyderabad

V *OBSERVERS*

(Who would not be members of the Council but would be invariably invited to assist the Council in its deliberations).

1. Agricultural Marketing Adviser, Ministry of Agriculture & Irrigation or his representative
2. Financial Adviser, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture & Irrigation
3. Economics & Statistical Adviser, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture & Irrigation or his representative
4. Plant Protection Adviser to the Government of India, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture & Irrigation
5. A representative of National Seeds Corporation
6. Joint Commissioner (Commercial Crops), Department of Agriculture, Ministry of Agriculture & Irrigation
7. A representative of the Agricultural Prices Commission

2 *FUNCTIONS*

The Council will be advisory body and will have the following functions :—

(1) To consider development programmes in the Central and State Sectors in respect of Oilseeds including Soyabean and Oilseeds of tree origin excluding Coconut, review progress thereof from time to time and recommended measures for increasing the production of oilseeds

(2) To consider problems relating to the production and marketing of Oilseeds and remunerative prices to Oilseeds growers and advise Government in these matters,

(3) To consider demands for different varieties of Oilseeds in the domestic as well as export markets and advise Government about necessary adjustments in Oilseeds production programmes accordingly

(4) To consider the special needs of small and marginal farmers in respect of Oilseeds production and suggest suitable measures for meeting the same,

(5) To facilitate coordination between research and development programmes relating to Oilseeds and to advise about the needs for improvement in the quality and productivity of Oilseeds

(6) To advise Government on such other connected matters as may be considered necessary from time to time

3 The Council will have the powers to set up Standing Committees, Technical Committees and Ad-hoc Committees to look into the Specific issues and to coopt members, such as representatives of Agricultural Universities and other special interest as and when necessary for specific purposes.

4 The Council will meet periodically in areas in which Oilseeds are grown and at important centres of Oilseeds trade and industry and will make recommendatons to the Government of India.

5 The Council will continue to function until it is abolished by a Resolution of the Government The terms of the Chairman and other non-official members of the Council would be three years from the date on which they are nominated on the Council unless this period is curtailed or extended by a specific order of the Government of India.

6. Those members of the Council who are nominated from the Members of Parliament will cease to be the members of the Council as soon as they cease to be Members of Parliament

ORDER

ORDERED that a copy of Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat

2 ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information

---

The 19th October 1977

No 23-6/76-C A.II —The Government of India have decided to reconstitute the Indian Sugarcane Development Council set up vide their Resolution No 41-3/73-C A II dated the 19th October, 1973, with effect from 1st July, 1977 The reconstituted Council will be composed as follows :—

I *CHAIRMAN*

A non-official to be nominated by the Government of India

II *VICE-CHAIRMAN*

Additional Secretary to the Govt of India in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture).

III *MEMBERS*

(A) *Members of Parliament*

Four Members of Parliament to be nominated by the Department of Parliament Affairs

(B) *Representatives of State Governments* —One representative from each of the following State Governments in the Department of Agriculture to be nominated by the respective State Governments —

1. Andhra Pradesh
2. Bihar
3. Haryana
4. Karnataka.
5. Maharashtra
6. Punjab
7. Tamil Nadu
8. Uttar Pradesh

(C) *Representatives of Central Government* :

1. One representative of the Planning Commission
2. One representative of the Ministry of Commerce.
3. Chief Director, (Sugar), Department of Food
4. Agriculture Commissioner to the Government of India or his nominee
5. Director General, Indian Council of Agriculture Research, New Delhi or his nominee,
6. Director, Indian Institute of Sugarcane Research, Rai Barely Road P O. Dilkhusa, Lucknow-2,
7. Project Coordinator (Sugarcane) Indian Institute of Sugarcane Research, Lucknow;
8. Project Coordinator (Sugarbeet), Uttar Pradesh Agriculture University, Pant Nagar, District Nainital.

(D) *Representative of Growers*

(a) One representative of the Growers to be nominated by the respective State Governments from each of the following Sugarcane growing States —

1. Andhra Pradesh
2. Bihar
3. Haryana
4. Karnataka
5. Maharashtra.

6. Punjab

7. Tamil Nadu

8 Uttar Pradesh

(b) One representative of the growers to be nominated by the Government of India

(E) *Representative of Industry* --

1 One representative of the Indian Sugar Mills Association

2 One representative of the National Federation of Cooperative Sugar Factories

3 One representative of Gur and Khandsari interest(to be nominated by the Government of Uttar Pradesh)

2. The Council will be an advisory body and will have the following functions —

1 To consider development programmes in the Central and State Sectors in respect of Sugarcane and Sugarbeet Crops, review progress thereof from time to time and recommend measures for increasing the production of Sugar cane and Sugarbeet,

2 To consider problems relating to the production, marketing processing, storage and transport of Sugarcane and Sugarbeet and remunerative prices to Sugarcane and Sugarbeet growers and advise Government in these matters,

3 To consider demands for different varieties of Sugarcane and Sugarbeet in the domestic as well as export markets and advise Government about necessary adjustments in Sugarcane and Sugarbeet production programmes accordingly,

4 To consider the special needs of small and marginal farmers in respect of Sugarcane and Sugarbeet production and suggest suitable measures for meeting the same;

5 To facilitate coordination between research and development programmes relating to Sugarcane and Sugarbeet and to advise about the needs for improvement in the quality and productivity of Sugarcane and Sugarbeet and,

6 To advise Government on such other connected matters as may be considered necessary from time to time

3. The Council will have the powers to set up Technical Committees, Standing Committees and ad-hoc Committees to look into specific issues and to coopt members such as representative of Agricultural Universities and other special interests as and when necessary, for specific purposes

4 The Council will meet periodically in areas in which Sugarcane and Sugarbeet are grown and at important centres of Sugarcane and Sugarbeet trade and industry and will make recommendations to the Government of India

5 The Council will continue to functions until it is abolished by a Resolution of the Government The terms of the Chairman and other non-official members of the Council would be three years from the date on which they are nominated on the Council unless this period is curtailed or extended by a specific order of the Government of India

(F) *Representative of Trade* :

One representative each of the Sugar Merchants Association at :—

1 Bombay
2 Kanpur
3. Calcutta.

(G) *Representative of workers* :

(a) Workers engaged in farms--One

(b) Workers engaged in factories—One

(H) *Such other persons as may, from time to time, be nominated by the Government of India*

IV *MEMBER-SECRETARY*

The Director, Directorate of Sugarcane Development, Ministry of Agriculture & Irrigation, (Department of Agriculture), No 1, Giani Border, Sahibabad, District Ghaziabad (U P)

V *OBSERVERS*

(Who would not be members of the Council but would be invariably invited to assist the Council in its deliberations)

1 Agricultural Marketing Adviser, Department of Rural Development, Ministry of Agriculture & Irrigation, or his representative;

2 Financial Adviser, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Irrigation;

3 Director, National Sugar Institute, Kanpur or his representative,

4 Director, Sugarcane Breeding Institute, Coimbatore or or his representative,

5 Economics and Statistical Adviser, Ministry of Agriculture & Irrigation or his representative;

6 Joint Commissioner (Commercial Crops) Department of Agriculture, Ministry of Agriculture & Irrigation, New Delhi

6 Those members of the Council who are nominated from the Members of Parliament will cease to be the members of the Council as soon as they cease to be the Members of Parliament

ORDER

ORDERED that a copy of Resolution be communicated to all State Governments, Administration of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Officer, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat

2 Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No 48012(5)/76-CAI.—The Government of India have decided to reconstitute with effect from Ist October, 1977, the Indian Spices Development Council set up vide their Resolution No 60-1/73-CAI dated the 7th November, 1973. The reconstituted Council will be composed as follows —

I *CHAIRMAN*

A Non-official to be nominated by the Government of India

II *VICE-CHAIRMAN*

Additional Secretary(P) to the Government of India in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture)

III *MEMBERS*

(A) *Members of the Parliament*

Three Members of Parliament to be nominated by the Department of Parliamentary Affairs

(B) *Representatives of State Governments*

One representative from each of the following State Governments in the Department of Agriculture to be nominated by the respective State Government :—

(i) Andhra Pradesh
(ii) Assam,
(iii) Gujarat
(iv) Karnataka
(v) Kerala
(vi) Maharashtra
(vii) Meghalaya
(viii) Orissa
(ix) Tamil Nadu
(x) West Bengal

(C) *Representatives of Central Government*

(i) One representative of the Planning Commission;

(ii) One representative of the Ministry of Commerce;

(iii) Agriculture Commissioner to the Government of India or his nominee,

(iv) D.G., ICAR, New Delhi or his nominee.

(v) Project Coordinator (Spices and Cashewnut), Central Plantation Crops Research Institute, Post Kudlu Kasaragod.

(D) *Representatives of Growers.*

Twelve Growers' Representatives to be nominated by the respective State Government from the major Spices growing States as follows :

(i) Andhra Pradesh	One representative
(ii) Bihar	—do—
(iii) Himachal Pradesh	—do—
(iv) Karnataka	—do—
(v) Kerala	—do—
(vi) Maharashtra	—do—
(vii) Meghalalaya	—do—
(viii) Madhya Pradesh	—do—
(ix) Orissa	—do—
(x) Tamil Nadu	—do—
(xi) West Bengal	—do—
(xii) Sikkim	—do—

(E) *Representives of Trade*

Three representives of trade to be recommended by the Ministry of Commerce

(F) *Representatives of Industry.*

Three representatives of Industry

(G) *Representatives of Workers*

(a) engaged in farms	— One
(b) engaged in factories	— One

(H) *Others*

Such additional persons as may, from time to time, be nominated by the Government of India

IV *MEMBER SECRETARY*

The Director, Directorate of Arecanut & Spices Development Calicut under the Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture)

V. *OBSERVERS*

(who would not be members of the Council but may be invited to assist the Council in the deliberations)

1 Chairman, State Trading Corporation or his represntative.

2 Agricultural Marketing Adviser, Government of India, Ministry of Agriculture & Irrigation or his representative

3 Financial Adviser, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture & Irrigation

4. Economics & Statistical Adviser, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture & Irrigation

5 Director, Central Food Technological Research Institute, Mysore

6. Representative of National Cooperative Development Corporation, New Delhi.

7. Joint Commissioner (Commercial Crops) Department of Agriculture, Ministry of Agriculture & Irrigation

8. Managing Director, National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd., (NAFED)

2 The Council will be an advisory body and will have the following functions —

(i) To consider development programmes in the Central and State Sectors in respect of Spices, review progress thereof from time to time and recommend measures for increasing the production of Spices,

(ii) To consider problems relating to the production and marketing of Spices and remunerative prices to spices growers and advise the Government in these matters;

(iii) To consider demands for different varieties of Spices in the domestic as well as export markets and advise Government about necessary arrangements for meeting the said demands through suitable development programmes,

(iv) To consider the special needs of small and marginal farmers in respect of spices production and suggest suitable measures for meeting the same;

(v) To facilitate coordination between research and development programmes relating to spices and advise about the needs for improvement in the quality and productivity of Spices

(vi) To advise Government on such other connected matters as may be considered necessary from time to time

The Council will have the powers to set up Standing Committee, Technical Committee and *Ad hoc* Committee to look into specific issues and to coopt members such as representatives of Agricultural Universities and other special interests as and when necessary for specific purposes.

4 The Council will meet periodically in areas in which Spices are grown and at important centres of trade and Industry and will make recommendations to the Government of India

5 The Council will continue to function until it is abolished by a Resolution of the Government The term of the Chairman and other non-official members of the Council would be three years from the date on which they are nominated on the Council unless this period is curtailed or extended by a specific order of the Government of India

6 These members of the Council who are nominated from among Members of the Parliament will cease to be the members of the Council as soon as they cease to be Members of Parliament

ORDER

ORDERED that a copy of Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information

RESOLUTION

No 48012(6)/76-CAI—The Government of India have decided to reconstitute with effect from 1st October, 1977, the Indian Cashewnut Development Council set up *vide* their Resolution No 17-1/73-CAI dated the 26th November, 1973. The reconstituted Council will be composed as follows :—

I. *CHAIRMAN*

A Non-official to be nominated by the Government of India.

II *VICE-CHAIRMAN*

Additional Secretary(P) to the Government of India in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture)

III *MEMBERS*

(A) *Members of the Parliament*

Three Members of Parliament to be nominated by the Department of Parliamentary Affairs.

(B) *Representatives of State Governments*

One representative from each of the following State Government in the Department of Agriculture to be nominated by the respective State Government —

(i) Andhra Pradesh

(ii) Goa.

(iii) Karnataka

(iv) Kerala

(v) Maharashtra.

(vi) Orissa

(vii) Tamil Nadu

(viii) West Bengal

(C) *Representatives of Central Government*

(i) One representative of the Planning Commission,

(ii) One representative of the Ministry of Commerce,

(iii) Agriculture Commissioner to the Government of India or his nominee,

(iv) Director General, Indian Council of Agricultural Research or his nominee,

(v) Project Coordinator (Spices and Cashewnut), Central Plantation Crops Research Institute, Post Kudlu, Kasargod (Kerala)

(D) Representatives of Growers

Eight representatives of growers to be nominated by the respective State Government from the major Cashewnut growing States as follows —

(i) Andhra Pradesh	One representative
(ii) Goa	—do—
(iii) Kerala	—do—
(iv) Karnataka	—do—
(v) Maharashtra	—do—
(vi) Orissa	—do—
(vii) Tamil Nadu	—do—
(viii) West Bengal	—do—

(E) *Representatives of Trade*

Three representatives of trade to be nominated on the Council out of the candidates recommended by the Ministry of Commerce.

(F) *Representatives of Industry*

Three representatives of Industry.

(G) *Representatives of Workers.*

(a) engaged in farms	— One
(b) engaged in factories.	— One

(H) Such additional persons as may, from time to time, be nominated by the Government of India

IV. *MEMBER SECRETARY*

The Director, Directorate of Cashewnut Development, Cochin, under the Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture).

V *OBSERVERS*

(who would not be members of the council but would be invariably invited to assist the Council in its deliberations).

1 Chairman, Cashew Corporation of India or his representative

2. Agricultural Marketing Adviser, Government of India, Ministry of Agriculture & Irrigation or his representative

3 Financial Adviser, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture & Irrigation

4 Economics & Statistical Adviser, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture & Irrigation or his representative

5 Joint Commissioner (Commercial Crops), Department of Agriculture, Ministry of Agriculture & Irrigation

2 The Council will be an advisory body and will have the following functions —

(i) To consider development programmes in the Central and State Sectors in respect of Cashewnut, review progress thereof from time to time and recommend measures for increasing the production of Cashewnut,

(ii) To consider problems relating to the production and marketing of Cashewnut and remunerative prices to Cashewnut growers and advise the Government in those matters;

(iii) To consider demands for different varieties of Cashewnut in the domestic as well as export markets and advise Government about necessary arrangements for meeting the said demands through suitable development programmes,

(iv) To consider the special needs of small and marginal farmers in respect of Cashewnut production and suggest suitable measures for meeting the same,

(v) To facilitate coordination between research and development programmes relating to cashewnut and advise about the needs for improvement in the quality and productivity of Cashewnut; and

(vi) To advise Government on such other connected matters as may be considered necessary from time to time

3. The Council will have the powers to set Standing Committee, Technical Committee and *Ad hoc* Committee to look into specific issues and to coopt members such as representatives of Agricultural Universities and other special interests as and when necessary for specific purposes.

4 The Council will meet periodically in areas in which Cashewnut is grown and at important centres of trade and industry and will make recommendations to the Government of India

5 The Council will continue to function until it is abolished by a Resolution of the Government. The term of the Chairman and other non-official members of the Council nated on the Council unless this period is curtailed or extended by a specific order of the Government of India

6 Those members of the Council who are nominated from among Members of the Parliament will cease to be the members of the Council as soon as they cease to be Members of Parliament

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No. 50-1/77-CAI—The Government of India have decided to constitute with immediate effect an Indian Potato Development Council The Council will be composed as under—

I *CHAIRMAN*

A Non-official to be nominated by the Government of India

II *VICE-CHAIRMAN*

Additional Secretary(P) to the Government of India in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture)

III *MEMBERS*

(A) *Members of the Parliament.*

Three Members of Parliament to be nominated by the Department of Parliamentary Affairs

(B) *Representatives of State Governments*

One representative from each of the following State Governments in the Department of Agriculture to be nominated by the respective State Government :—

(i) Andhra Pradesh.

(ii) Bihar.

(iii) Haryana

(iv) Himachal Pradesh

(v) Karnataka

(vi) Madhya Pradesh

(vii) Orissa

(viii) Punjab

(ix) Tamil Nadu

(x) Uttar Pradesh

(xi) West Bengal

(C) *Representatives of Central Government*

(i) One representative of Planning Commission

(ii) One representative of the Ministry of Commerce.

(iii) One representative of the Ministry of Civil Supplies and Cooperation (Department of Civil Supplies)

(iv) Agriculture Commissioner to the Government of India or his nominee

(v) Director, Central Potato Research Institute, Simla

(vi) Project Coordinator, Potato, Central Potato Research Institute, Simla.

(vii) Agriculture Marketing Adviser, Department of Rural Development, New Delhi

(viii) Director, Food Processing, Department of Food

(ix) Managing Director, National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd

(D) *Representatives of Growers.*

Eleven Growers' Representatives to be nominated by the respective State Government from the Major Potato growing States as follows

(i) Andhra Pradesh.

(ii) Bihar

(iii) Haryana

(iv) Himachal Pradesh

(v) Karnataka.

(vi) Madhya Pradesh.

(vii) Orissa

(viii) Punjab

(ix) Tamil Nadu

(x) Uttar Pradesh

(xi) West Bengal

(E) *Representatives of Trade*

One representative of trade.

(F) *Representatives of Industry*

One representative of Industry.

(G) *Representatives of Cold Stores*

One representative each to be nominated by States of U P, Punjab, Haryana, Bihar, West Bengal, Madhya Pradesh and Himachal Pradesh

(H) *Representatives of Workers*

Worker engaged in Farms —One

(I) *Such additional persons as may, from time to time, be nominated by the Government of India*

IV *MEMBER SECRETARY*

The Director(HVP), Ministry of Agriculture & Irrigation, Department of Agriculture, New Delhi.

V *OBSERVERS*

(who would not be members of the Council but may be invited to assist the Council in the deliberations)

(i) Assistant Director General (Horticulture) or his representative, Indian Concil of Agricultural Research.

(ii) Financial Adviser Department of Agriculture, Ministry of Agriculture & Irrigation

(iii) Economic & Statistical Adviser, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture & Irrigation or his representative

(iv) Plant Protection Adviser, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture & Irrigation

(v) Managing Director, National Seeds Corporation or his representative

(vi) A representative of Railways

(vii) Joint Commissioner (Movement), Department of Food

(viii) Joint Commissioner(FC)

2 The Council will be an advisory body and will have the following functions —

(1) To consider development programmes in the Central and State Sector in respect of Potato, review progress thereof from time to time and recommend measures for increasing the production of Potato

(2) To consider problems relating to the production and marketing of Potato and remunerative prices to potato growers and advise Government in these matters,

(3) To consider demands for different varieties of potato in the domestic as well as export markets and advise Government about necessary arrangements for meeting the said demand through suitable development programmes,

(4) To consider the special needs of small and marginal farmers in respect of potato production and suggest suitable measures for meeting the same,

(5) To facilitate coordination between research and development programmes relating to potato and to advise about the needs for improvement in the quality and productivity of potato;

(6) To advise Government on such other connected matters as may be considered necessary from time to time

3 The Indian Potato Development Council will have powers to set up Standing Committee, Technical Committee and Ad-hoc Committee to look into specific issues and to coopt members such as representatives of Agricultural Universities and other special interests as and when necessary, for specific purposes

4 The Council will meet at least once a year in areas in which potato is grown and at important centres of trade and industry and will make recommendations to the Government of India

5 The Council will continue to function until it is abolished by a Resolution of the Government The term of the Chairman and other non-official members of the Council would be three years from the date on which they are nominated on the Council unless this period is curtailedd or extended by a specific order of the Government of India

6 Those members of the Council who are nominated from among members of the Parliament will cease to be the members of the Council as soon as they cease to be members of the Parliament

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments Administrations of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats

2 ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information

A. DAS, Addl. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

(DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE)

New Delhi, the 1st October 1977

RESOLUTION

No. F 1-50/77-CSWB.—Smt. Satojini Varadappan, who was appointed as Chairman, Central Social Welfare Board (Company), with effect from 1-9-1973, vide Government of India, Department of Social Welfare Resolution No F 1-36/73-WW dated 7th September 1973, relinquished the charge of the office of the Chairman on the afternoon of 31st August 1977. Smt Satojini Varadappan has been granted terminal leave for 120 days with effect from first September 1977, subject to the necessary conditions applicable in such cases under the Central Civil Services Leave Rules

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated cated to —

1 All the Members of the Central Social Welfare Board.
2 All the State Governments/Union Territories.
3 All the Ministries/Departments of Government of India.
4 President's Secretariat.
5 Cabinet Secretariat.
6 Prime Minister's Office.
7 Planning Commission
8 Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat
9 Press Information Bureau
10 Accountant General, Central Revenues, New Delhi
11 Department of Company Affairs
12 Registrar of Companies New Delhi
13 Regional Director, Company Law Board, Kanpur
14 Secretary, Central Social Welfare Board, New Delhi
15 All Chairmen, State Social Welfare Advisory Boards

ORDERED also that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B N BAHADUR, Dy Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977